



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION



ए0डी0जी0सी0 श्री रविन्द्र
प्रताप सिंह



पैरोकार का0 जंगबहादुर यादव

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 22,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है दिनांक 05/06/2022 समय 12.40 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त द्वारा डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार करने की तहरीर पर मु0अ0सं0 175/22 धारा 376/504/506 भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 08.09.2023 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्तगणों को 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 22,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्त गणों को 05 वर्ष कठोर कारावास।
- ❑ 22,000/- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड ना चुकाने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता: -

- सुशील कुमार तिवारी उर्फ लम्बू पुत्र अवधनरायन तिवारी नि0 कटरा हुलासी थाना अमेठी जनपद अमेठी।

उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु जनपद अमेठी के महत्वपूर्ण 20 अभियोगों में चिन्हित किये गये थे।